रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (DN) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 1987/पौष 29, 1908
No. 35] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 1987/PAUSA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1987

अधिसूचनाएं

सं. 6/87—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 42 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के अध्याय 53 के अंतर्गत आने वाले जूट फाइबर को जिसका ऐसे कारखाने के भीतर उपभोग किया जाता है जिसमें जूट उत्पादों के विनिर्माण के लिए उसका उत्पादन किया जाता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

[फा. सं. 357/3/87-टी आर यू]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th January, 1987

NOTIFICATIONS

No. 6|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts jute fibre, falling within Chapter 53 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1985) and consumed within the factory in which it is produced for the manufacture of jute products, from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[F. No. 357|3|87-TRU.]

सं. 7/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 43(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 56/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक भाग में, "53 या 56" अंक और शब्द के स्थान पर "53, 56, 57 या 63" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 357/3/87-टी आर यू]

No. 7/87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 56/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely :—

In the said notification, in the opening portion, for the figures and word "53 or 56", the figures and word "53, 56, 57 or 63" shall be substituted.

[F. No. 357/3/87-TRU.]

सं. 15/87-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 44(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 54.02, 54.04 या 54.06 के अंतर्गत आने वाले 1000 डेनियर और उससे अधिक के पालिएस्टर फिलामेंट सूत को, जब उसका मशीनरी के लिए पट्टा कपड़ा के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना मूल्य के 100 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है :—

परन्तु यह तब जब कि आयातकर्ता इस आशय का वचन-बंध पेश करता है कि—

(क) उक्त आयातित माल का ऊपर विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा;

(ख) पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए विनिर्माण के स्थान में प्राप्त और उपभुक्त उक्त आयातित माल का लेखा सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा;

(ग) वह विनिर्माता द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित ऐसे लेखे का उद्धरण जिसमें विनिर्माण के स्थान के परिसर में आयातित माल की प्राप्ति का साक्ष्य हो, तीन मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर अनुज्ञात करे, पेश करेगा; और

(घ) वह, उपरोक्त खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) की अपेक्षाओं के अनुपालन में अपनी असफलता की दशा में, मांग किए जाने पर, उतनी रकम का संदाय करेगा जो इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट के न दिए जाने की दशा में, उक्त आयातित माल की ऐसी मात्रा पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयात किए जाने के समय पहले ही संदत्त शुल्क के बीच के अंतर के बराबर हो ।

[फा. सं. 357/1/87-टी आर यू]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

No. 15/87-CUSTOMS

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts polyester filament yarn of 1000 Deniers and above, falling under heading Nos. 54.02, 54.04 or 54.06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India for the manufacture of belting for machinery, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of 100 per cent ad valorem :

Provided that the importer furnishes an undertaking to the effect that —

(a) the said imported goods shall be used for the purpose specified above;

(b) an account of the said imported goods re-received and consumed in the place of

manufacture for the aforesaid purpose shall be maintained in the manner specified by the Assistant Collector of Customs;

(c) he shall produce the extract of such account duly certified by the manufacturer evidencing receipt of the imported goods in the premises of the place of manufacture within a period of three months or such extended period as the Assistant Collector of Customs may allow; and

(d) he shall pay, on demand, in the event of his failure to comply with the requirements of clause (a), (b) or (c) above, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity of the said imported goods but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[F. No. 357|1|87-TRU.]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987